remain now are the three wings of the original seven wings. This Committee was there and experts were associated and the Archaeological Survey of India was associated with it and they proposed the first phase which I have mentioned. They also had this idea before them as to whether the whole thing with the seven blocks should be restructured and put in the shape in which it was before. Then it was thought that whatever remained of the wings could be kept intact and could properly be reshaped and what was thought more important was that the structure as it was should be kept intact alongwith the gate also and the plaques should be placed in the Central Tower. So, the idea of constructing all the seven wings was also before the Committee But they thought that the proper way would be to do it as we are doing now

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I want to know why an advisory committee is not being constituted consisting of the representatives of the ex-Andamans political prisoners in the matter of implementing this plan. So long as this plan is not completed by implementation, the committee should remain. Has the Government considered a proposal of this kind? I would like to know, why such steps are not being taken with a view to more directly associating the representatives of political sufferers?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Though there is no formal committee of the nature suggested by the hon. Member, but, as I said, there is a fraternity circle which represents quite a large section of political prisoners have been very intimately associated, as also Members of Parliament. On this occasion, I will like to refer to the interest that the late Shri Kamal Nath Tiwari took in the matter. Every one of us is interested in it But whether a formal advisory committee of the nature as suggested by the hon. Member should be there, we will consider it.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: It is said that thousands of persons had been deported to Andaman after the Mopla rebellion. Has any record of these names been kept?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I need notice on that. . .

MR. CHAIRMAN: Next question. . .

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: May I rise on a point of order? This is a very important question. The Prime Minister is not here. I may also state here, Sir. . .

MR. CHAIRMAN: This is no point of order.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I am making this request under Rule 52 The day before yesterday the Minister said that he cannot answer a particular question because the files had not been sent to him, or are only sent to the Prime Minister. The Prime Minister is not present. I would request that this question be postponed to some other date when the Prime Minister is present in this House. This is a very important question. . .

MR CHAIRMAN: I over-rule this point of order. Next question.

Allegation against Railway Minister

*212. SHRI SITA RAM SINGH:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a memorandum signed by some Members of the Bihar Vidhan Sabha containing certain allegations against the Railway Minister was submitted to the Prime Minister on 20th November, 1973; and

(b) if so, what action has been taken thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes. Sir.

(b) In accordance with the normal procedure, the memorandum was refer-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Prasad Mathur.

red to the Railway Minister for his comments. These comments have been received and are under examination.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो आरोप श्री मिश्र के गये है खिलाफ इस ज्ञापन में लगाये उन आरोपों की जांच कपूर कमीशन ने भी की है और बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने भी इस के संबंध में जांच की है और जो कुछ भी अब तक जांच हुई है उस के आधार पर श्री मिश्र के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनता है कि उन के हाथ से उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और भारत सेवक समाज के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के कार्य हुए है और उन कार्यो में श्री मिश्र और उन के परिवार वालों का हाथ रहा है और उन के खिलाफ विधान सभा की उस समिति ने और कपूर कमीशन ने आरोप लगाये हैं। तो जब प्राइमा फेसी केस बनता है उन के खिलाफ, तो उन्होंने उन आरोपों के बारे में किस प्रकार का उत्तर दिया है? और आप यह भी बतलायें कि मिश्र जी ने जो कमेंट्स दिये है तो उन कमेंट्स की जांच क्या श्री राम निवास मिर्धा जी कर रहे है या हमारी प्रधान मंत्री जी कर रही है या हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं या हाईकोर्ट के कोई जज कर रहे हैं। किस माध्यम से उन की जांच हो रही है जिस के आधार पर आप कहेंगे कि उन के खिलाफ कोई केस नही बनता जैसा कि आपने बंसीलाल जी के खिलाफ जांच की और कह दिया कि कोई केस नही बनता, तो मै जानना चाहता हूं कि मिश्र जी के खिलाफ जांच कौन कर रहा है?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, the normal procedure, as I mentioned in the answer, is that when a complaint is received by the Prime Minister, the complaint is referred to the Minister concerned as has been done in this case. And when the reply is received from the Minister concerned, that reply is examined and the final decision whether any further action by way of appointment of a Commission of Inquiry or otherwise is necessary, is taken by the Prime Minister after consideration of the relevant case.

As regards the allegations made in the Estimates Committee and the other Committee of the Vidhan Sabha of Bihar, Sir the question was raised in this very House —Question No. 539. This question was regarding the allegations in the Estimates Committee. The reply that the Prime Minister gave was as follows:

> "When the subject-matter was mentioned by Opposition leaders at a meeting with the Prime Minister on 27th August 1973, she stated that Shri L. N. Mishra was going to clarify the position. Further necessary action on the Report of the Bihar Assembly Estimates Committee was to be taken by the Speaker of that Assembly and the State Government."

Shri Mishra subsequently made a statement in the Rajya Sabha on 29th August 1972 clarifying his position.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, श्री मिश्र के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह इस के आरोप हैं कि जिन के कारण से...

SHRI KAMALNATH JHA: Sir, on a point of order.

यह रूल 47 में अध्यक्ष महोदय दिया है, मैं आप को वह पढ़ कर सुनता हूं। यह रूल 47, क्लाज 2, सब क्लाज 11 और 12 में पढ रहा हूं जो इस प्रकार है:

> "It shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion."

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप बैठ जाइये।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, what he says is. . .

श्री रबी राय : मिश्र जी की मेहरबानी आप पर हो जायगी।

MR CHAIRMAN: I am listening to him.

श्री कमल नाथ झा : इस नियम के मुताबिक इस सदन को चलना है और हम सब इस नियम से बंधे हुए है। एक माननीय मंत्री का कंडक्ट, उस के चरित्र के संबंध में हम को बहस करने का अधिकार है, लेकिन नाट इन दिस क्वेस्चन।

MR. CHAIRMAN: I overrule the point of order.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सभापति महोदय, श्री मिश्र जी के खिलाफ जिस प्रकार के आरोप लगे है . . .

श्री सभापति : आप इंक्वायरी के मुताल्लिक पूछिये, आरोपों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जिन आरोपों के संबंध में यह कहा गया है कि वे इतने गंभीर हैं और सारा बिहार आज जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, मिश्र बंधुओं के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उस के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय लगेगा आप को इंक्वायरी कंप्लीट करने में और सभापति महोदय दुर्भाग्य की बात यह है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है कि सदस्यो द्वारा जिन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते है उन के लिए कुछ किया जायगा और इस के लिए लोकआयुक्त और लोकपाल विधेयक जो है उस के प्रस्तुत हो जाने के उपरोन्त भी आज कितने वर्ष हो गये, उसे सरकार सदन में पास होने के लिए प्रस्तुत नहीं कर रही है और इस लिए ऐसे मामले बार बार सदन में प्रस्तुत होते हैं, और कई बार हम को प्रधान मंत्री के पास जाना पड़ता है। तो इतने सदस्यों के ज्ञापन देने के बाद इस मामले को लोक आयुक्त के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हू कि. . .

श्री सभापति : आप ने अपनी बात कह दी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर . तो आप लोक आयुक्त विधेयक के संबंध मे बतायें कि कब आप उस को ले कर आने वाले है ताकि इस प्रकार की शिकायतें सदन में आये और इस प्रकार के आरोपों की जांच कराने का मौका हम को मिल सके।

श्री राम निवास मिर्धा : यह बात गलत है कि लोक आयुक्त और लोकपाल विधेयक सरकार लाना नहीं चाहती। सदन के समक्ष वह प्रस्तुत है . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कई वर्षो से प्रस्तुत है।

श्री राम निवास मिर्धा : अब यह सदन पर है कि वह उस के लिए समय निर्धारित करे। हर सत्र में के पहले हम लिखते रहे है कि उस को लाने दिया जाय और किन्हीं कारणों से, जिन की जिम्मेदारी सरकार की नही है, वह नही हो सका। हमारा कतई मंशा नहीं है कि उस विधेयक को रोका जाय। हम चाहते हैं कि उस को जल्दी से जल्दी पारित किया जाय।

श्री जगदीश प्रसाद मिर्धा : आप किस संबंध मे कह रहे है कि सरकार की

जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो किस की जिम्मेदारी है। कौन नहीं लाने दे रहा है।

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Swamy, you are interrupting too much, I am very sorry to say.

SHRI K. N. DHULAP: What are the specific allegations mentioned in the Memorandum submitted by the Members of the Vidan Sabha of Bihar, what is the explanation submitted by the hon. Minister concerned and how long this Ministry is going to take for finalising the action to be taken?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, it is not proper for me to say what the allegations are or what the reply of the Railway Minister is because that is at the stage of consideration. As regards the time that it will take, I have said that the matter is being examined and a decision will be taken in due course.

श्री रबी राय : अध्यक्ष महोदय, बिहार में ललित नारायण मिश्रा का दूसरा नाम है नगद नारायण।

श्री सभापति : सवाल पूछिए।

श्री रबी राय : मैं आपसे जानना चाहता हूं अभी मंत्री महोदय हमारे डी० एम० के० के मित्र के प्रश्न के जवाब में (*Interruptions*) हां, नगद नारायण मैं दोबारा कहे देता हूं।

श्री कमलनाथ झा : आप सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पर्सनल आक्षेप किसी मंत्री को लग रहे है। इट शुड बी एक्सपंज्ड।

श्री रबी राय : मैंने अभी कुछ कहा नहीं, प्रश्न नहीं पूछा ...

श्री सभापति : तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, और बातें करेंगे।

श्री रबी राय : मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता था कि अभी अभी हमारे डी० एम० के० के साथी ने प्रश्न पूछा तो जवाब मिला कि मै बता नहीं पाऊंगा कि क्या इल्जाम लगाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, बिहार विधान सभा की इस्टीमेट्स कमेटी ने कोसी बांध को लेकर बाक़ायदा क्या ठोस इल्ज़ाम लगाए ललित नारायण मिश्र के ऊपर, यह सदन को बताएं ...

श्री सभापति : उन्होंने कह दिया, पहले बता चुके हैं।

श्री रबी राय : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट आफ आर्डर। आपसे मैं रक्षण चाहता हूं। आप संसदीय परंपरा के जानकार हैं। वहा बिहार की इस्टीमेट्स कमेटी के जो अध्यक्ष हैं बाक़ायदा उनकी राय भी है कि कोसी बांध को लेकर ललित नारायण मिश्र जी के खिलाफ चार्ज है। मैं आपसे जाना चाहता हूं, क्या आप मंत्री महोदय को नहीं कह सकते कि इसका सारा का सारा ब्यौरा पब्लिक हो चुका है, तो इसका ब्यौरा बाताएं इस्टीमेट्स कमेटी की क्या राय थी...

श्री सभापति : उन्होंने जवाब अभी दे दिया है इसके ऊपर।

श्री रबी राय : क्या आप उनके साथ सहमत है?

श्री सभापति : मेरे सहमत होने का कोई सवाल नहीं है। क्यों आप यह कह रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, बिहार असेम्ब्ली की प्राक्कलन समिति ने क्या कहा उसके बारे में क्या कार्यवाही होनी चाहिए यह वहां की राज्य

सरकार और विधान सभा के कार्य-क्षेत्र की बात है, उन्होंने क्या कहा है वह हमसे यहां पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि . . .

श्री रबी राय : आप वह सारा बताएं । अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री सभापति : आप बैठेंगे नहीं ? उनको बोलने भी नहीं देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट एक पब्लिक डाक्यूमेंट है। सब इसको जानते हैं वह विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। माननीय सदस्य देख सकते हैं, वह जानकारी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर क्या कार्यवाही हो यह उन्हीं को करना है।

श्री रबी राय : पौइन्ट आफ आर्डर, मैं आपसे रक्षण चाहता हूँ । यह खुद मानते हैं मंत्री महोदय, कि पब्लिक डाक्यूमेंट है। मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या इस्टीमेट्स कमेटी ने बताया? अध्यक्ष महोदय, मेरे पौइन्ट आफ आर्डर पर आप राय दीजिए, मैं मान लूंगा ।

MR. CHAIRMAN: I overrule this point of order.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : मेरा पौइन्ट आफ आर्डर है कि पहले मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह यह था कि इस्टीमेट्स कमेटी में जो कुछ रेफरेन्स है उनके आधार के ऊपर एम० एल० एज० ने एक मेमोरेण्डम दिया है जिसकी इंक्वायरी आप करा रहे हैं और अभी उत्तर दे रहे हैं कि प्राक्कलन समिति ने जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्यवाही करना बिहार विधान सभा और बिहार सरकार का विषय है, हमारा कोई कन्सर्न नहीं है। इसी आधार पर आप मेमोरेण्डम पर कार्यवाही या इंक्वायरी करा रहे हैं? केन्द्र के मंत्री के बारे में बिहार की इस्टीमेट्स कमेटी में आरोप आए, अगर बिहार के एम० एल० एज० के मेमोरेण्डम में दिए गए एलीगेशंस पर जांच कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या आपत्ति है . . .

श्री सभापति : वे कह रहे हैं वहां पर रिपोर्ट में क्या लिखा है वह पब्लिक डाक्यूमेंट है, यह वे नहीं कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी नहीं करा रहे हैं।

श्री रबी राय : इसलिए कि कांग्रेस इलेक्शन फण्ड के लिए 20 करोड़ रु० देते हैं प्रधान मंत्री को, वह नहीं बता रहे है अध्यक्ष महोदय । द कैट इज आऊट आफ द बैग ।

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: I cannot allow that kind of a statement to go unchallenged. It is completely baseless and incorrect.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : पौइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : आप कुछ काम चलने देंगे ?

(Interruptions)

श्री भैरों सिंह शेखावत : बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और उनके 5 साथी, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पटनायक और मेहताब, मध्य प्रदेश का चना स्कैण्डल . . .

श्री सभापति : अब आप रेलेवेंट नहीं पूछते हैं तो मैं दूसरों को बुलाता हूं । कहां से कहां ले आते हैं? . . .

श्री भैरों सिंह शेखावत : तो क्या यह सही है उनसे संबंधित प्रश्नों के ऊपर सरकार ने अपने पार्टी की एक

समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने उनको निर्दोष साबित किया, लेकिन इन सब प्रश्नों पर जब जूडिशियल इन्क्वायरी हुई तो ये सब दोषी पाए गए। इसी प्रकार राज्य सरकार और भारत सरकार जो प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न को दरगुजर करके श्री ललित नारायण मिश्र को बचाना चाहती है, जैसे कि पंजाब केस के अन्दर एम०आर० दास ने कहा था कि वह एक्स-पार्टे इन्क्वायरी थी, उस प्रकार की इन्क्वायरी करके आप इस मसले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में सीधे-सीधे जूडिशियल इन्क्वायरी एपोइन्ट करने को तैयार नहीं है?

श्री राम निवास मिर्धा: माननीय सदस्य ने कई बातें कही, पार्टी की बातें कहीं। मैं उनका उत्तर देना ठीक नहीं समझता, न वे इस सवाल से सम्बन्धित है। जहां तक इस जांच का सम्बन्ध है, जो उत्तर रेल मंत्री जी ने भेजा है उस पर विचार किया जा रहा है और जैसा उचित समझा जायगा आगे कार्यवाही की जायेगी।

MR. CHAIRMAN: Mr. Niren Ghosh, last question.

SHRI NIREN GHOSH: Sir, besides this, the Karnataka Export Corporation is making an illegal profit of Rs. 50 lakhs with the connivance of this Minister and has not fulfilled any part of its obligations. Moreover, the files have also disappeared. In view of these allegations, I would like to know why the Prime Minister is departing from the tradition set by her father in the case of Shri Pratap Singh Kairon and even in the case of Shri K. D. Malaviya, whose offence was not as serious as the offences now being reported to this House time and again.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, the Prime Minister is not departing from any convention or practice The practice, as I said, is that the allegations are referred to the Minister concerned, his reply is received, the reply is scrutinised and only when some substance is found in those allegations that a Commission of Inquiry is appointed.

The tradition is not to send them blindfold or without any scrutiny and this tradition is being followed in this case also.

Resignation by Dr. Lahiri on Coal Technology

*213. SHRI O. P. TYAGI:
SHRI N. G. GORAY: †

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) what are the reasons given by Dr. Lahiri for resigning from the Council of Scientific and Industrial Research;

(b) whether Government have seen a statement made by Dr. Lahiri that appeared in the "Tribune" of 4th April, 1974 wherein he is reported to have stated that most of the technologies on coal were developed at the Central Fuel Research Institute during the last twenty years despite numerous foreign collaboration agreements on coal technology and that there has been a delay in switching over from oil to coal; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

This question was covered by the Minister of Industrial Development and Science and Technology on 25th April, 1974 in the Rajya Sabha while replying to the debate on the working of the Ministry of Industrial Development and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri N. G. Goray.